1027

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर

रजिस्टर्ड पंजी० नं० 2123 **निजी नलकूप/पम्प सेट हेतु टी०सी०** दिनांक 22/03/2023

श्री जानकी

पुत्र श्री द्वारिका

ग्राम सिहौरा पोस्ट बहादुरपुर

ब्लाक पिसावा

जिला–सीतापुर

योजना :– पूर्ण जमा

पंजीकृत संख्या 2071 दिनांक 20-3-2023

स्वीकृत विद्युत भार 7.5 अश्व०

कुल अनुमानित धन 13440=00

महोदय,

आपके निजी नलकूप पम्प सेट के विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र दिनांक.....के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी कार्य दिवस में आकर निम्न धनराशि जमा करने का कष्ट करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण

HT लाइन बनाने में व्यय धनराशि	47200=00
LT लाइन बनाने में व्यय धनराशि	
S/S बनाने में व्यय धनराशि	94582=00
योग	141782=00
फिक्स+मीटर की धनराशि	4957=00
जमानत धनराशि	2400=00
योग रू०	149139=00

कार्य का विवरण

1– लाइन की लम्बाई
(क) एच०टी० 200 मी० कि०मी०
(ख) एल०टी० 2 कि०मी०
(ग) सर्विस लाइन 2
2– ट्रॉसफार्मर 25 के०वी०ए०
3– लाइन कनवर्जन 2
2
4– खण्ड द्वारा किया जाने वाला व्यय
1– लाइन पर व्यय रू० 2
2– सब स्टेशन पर व्यय रू० 2
कुल व्यय 2

अन्य आवश्यक शर्तें

1– आप ऊपर की धनराशि जमा करके किसी कार्य दिवस में दो गवाहों सहित आयें तथा मात्र 100.00 रूपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं 1.00 रूपया का रसीदी टिकट सहित तथा अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति सहित अनुबन्ध हेतु इस कार्यक्रम में आयें।

2– मीटर निरीक्षण शुल्क 500/– शासकीय कोष में 0043 विद्युत दर पर कर निरीक्षण शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत जमा करना होगा।

3– विद्युत देने की प्राथमिकता अनुबन्ध करने और बी० एण्ड एल० फार्म जमा करने की तथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4– पहले से जमा धनराशि देय धनराशि से घटा दी जायेगी।

5– आपको कनेक्शन हेतु आवश्यक सामानों की 33 / 11 के०वी० हुसैनगंज सीतापुर सब स्टेशन से अपने वाहन द्वारा ले जाना पड़ेगा।

6– कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा।

7– सीमेन्ट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे एंगिल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी–
प्रति खम्भा आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 2 बोरी, बालू 4.55 घन फिट, गिट्टी 9.10 घन फिट
प्रति स्टेशन आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 0.31 बोरी, बालू 5.85 घन फिट, गिट्टी 3.70 घन फिट

8. आपका धन तभी जमा किया जायेगा जब इसी काउण्टर के निम्न कृषक भी साथ ही धन जमा करें।

9. संयोजन लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही अदमुक्त किये जा सकेंगे।

10. लाइन निर्माण करना एवं किसी भी तरह के विवाद का निपटारा कराना आपका दायित्व है।

पत्रांक– 2123 /वि०वि०ख०द्वितीय/सी०/तद्दिनांक– 22/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड सिधौली।
2– क्षेत्र विकास अधिकारी पिसावा सीतापुर।
3– सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई, सीतापुर)।
4– अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता

अधिशाषी अभियन्ता

Scanned by CamScanner